न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 90 / 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025 / 163

प्रार्थी :–

विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. छगली पत्नी श्री समाराम जाति चौधरी निवासी अटाटिया, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.
2. सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केसुली पंचायत समिति देसूरी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विरुद्ध संकल्प संख्या 09 दिनांक 20.09.2022 जिसके तहत पट्टा नम्बर 44 दिनांक मिसल संख्या 156 / 2021–2022 में आवासीय भूखण्ड का पट्टा दिनांक 03.10.2023 को निरस्त करवाये जाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री खुशवीरसिंह चौहान।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांकः 03.11.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत विरुद्ध संकल्प संख्या 09 दिनांक 20.09.2022 जिसके तहत पट्टा नम्बर 44 मिसल संख्या 156 / 2021–2022 में आवासीय भूखण्ड का पट्टा दिनांक 03.10.2023 अप्रार्थी संख्या 01 छगली के हक में जारी किया गया, को निरस्त करवाये जाने बाबत् पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि बमुकाम अटाटिया, तहसील देसूरी के आबादी क्षेत्र खेतलाजी मन्दिर के पास आलोच्य भूखण्ड आया हुआ स्थित है। जिस भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक छगली के नाम मिसल संख्या 156 / 2021–22 के तहत खोली गई पत्रावली पट्टा न. 44 दिनांक 03.10.2023 को ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 09 दिनांक 20.09.2022 के क्रम में पारित किया गया। जिसके पडौस निम्नानुसार है:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 90/2025
उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम छगनी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उत्तर में:– आर.ओ. प्लान्ट

दक्षिण में:– पड़त भूमि

पूर्व में:– रास्ता व दरवाजा।

पश्चिम में:– पावटी का जाव।

उपरोक्त पड़ौस व नाप का भूखण्ड उत्तर से दक्षिण 20 फीट लम्बा व पूर्व से पश्चिम 20 फीट चौडा कुल 400 वर्गफीट का आया हुआ है। उक्त पड़ौस व नाप के भूखण्ड को लेकर ग्राम अटाटिया के आमजन द्वारा यह बताने पर कि उक्त स्थान का पट्टा खेतलाजी के मन्दिर व चौक के पास स्थित होने आमजन के हितों को प्रभावित करने वाला है व होने वाले धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम में उक्त पट्टे व अस्तित्व में रहने के दौरान जन आक्रोश व व्यवधान होने की स्थिति में आमजन प्रभावित होंगे जिस पर ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 13.09.2025 जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पट्टा संख्या 44 को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज करवाने हेतु प्रस्ताव लिया गया जिस प्रस्ताव की पालना से प्रार्थी निम्न आधारों व वजुहातों पर यह रिवीजन याचिका प्रस्तुत करते हैं:–

1. यह है कि ग्राम पंचायत केसुली द्वारा संकल्प संख्या 9 दिनांक 20.09.2022 की अनुपालना जारी किया गया पट्टा अवैध व जनभावनाओं के विपरित होने से काबिल निरस्त है।
2. यह है कि जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस भूमि के लगते हुए गांव अटाटिया से खेतलाजी मन्दिर व चौक आया हुआ होने से जारी किये गये पट्टे की भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने से उक्त भूमि के स्थान पर सार्वजनिक धार्मिक व अन्य कार्यक्रम का आमजन होता रहता है व पट्टा धारी द्वारा उक्त पट्टे की आड में निजी कार्य करवाया जाता है तो वह जनभावनाओं के विपरित होने से जारी किये पट्टे संख्या 44 को खारिज किया जाना हित में रहेगा जिससे भी प्रार्थी की रिवीजन याचिका स्वीकार योग्य है।
3. यह है कि अप्रार्थी संख्या एक को जारी किया गया पट्टा संख्या 44 राजस्थान पंचायती नियम 157 (1) के तहत पुराना कब्जा 50 वर्षों के समकक्ष होना बताने पर जारी किया गया है जबकि अप्रार्थीया स्वयं की आयु 50 वर्ष से अधिक की नहीं है। जिससे ग्राम पंचायत केसुली द्वारा बने नियम, उपनियम के विपरित पट्टा जारी किये जाने से जारी किये गये पट्टे का अस्तित्व समाप्त किया जाना न्यायसंगत होगा।
4. यह है कि ग्राम पंचायत केसुली द्वारा दिनांक 20.09.2022 को संकल्प संख्या 9 की पालना में 03.10.2013 को पट्टा न. 44 जारी किया गया है, वह जनभावनाओं के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

विपरित व आमजन को प्रभावित करने वाला होने से पट्टे के अस्तित्व को समाप्त किया जाना जरुरी है अन्यथा अन्य विवादों को जन्म मिलेगा। जिससे भी प्रार्थी की रिवीजन याचिका काबिल स्वीकृति के है।

5. यह है कि ग्राम पंचायत केसुली द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 13.09.2025 को जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पट्टा न. 44 जारी दिनांक 03.10.2023 के विरुद्ध होने से प्रार्थी की रिविजन याचिका अन्दर अवधिकाल पेश है।
6. यह है कि पंचायत निगरानी विरुद्ध ग्राम पंचायत केसुली के प्रस्ताव के विरुद्ध होने से यह रिविजन याचिका न्यायालय के क्षेत्राधिकार व पक्षकारान् न्यायालय के क्षेत्र में निवासी होने से श्रीमान के श्रवणाधिकार की होकर श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः रिवीजन याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की रिवीजन याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत केसुली के संकल्प संख्या 09 दिनांक 20.09.2022 को जारी किये गए पट्टा संख्या 44 दिनांक 03.10.2023 को शून्य व निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि याचिका सही होने से स्वीकार है तथा जरिये मिसल संख्या 156/2021–22 के जरिये जारी किया गया पट्टा संख्या 44 ग्राम अटाटिया में खेतलाजी के मन्दिर व चौक के पास स्थित होने से आमजन को प्रभावित करने वाला है व ग्राम अटाटिया के आमजन की धार्मिक व सामाजिक आस्था मन्दिर एवं चौक से जूडी हुई है। जिससे प्रार्थी ने उक्त पंचायत निगरानी में जो आधार व कानून दर्शाए हैं वे जनहित को प्रभावित करने वाला होने से एवं अप्रार्थी संख्या 01 छगली भी ग्राम अटाटिया की मूल निवासी होने से जनहित को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा नम्बर 44 निरस्त किया जाता है तो जनहित के साथ है। अतः जवाब याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की पंचायत निगरानी को जनहित में निर्णीत किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या एक मय अधिवक्ता हाजिर। अप्रार्थी संख्या दो बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया जाता है।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष/निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि ग्रामवासियों के सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 90 / 2025

उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम छगनी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

एक के पक्ष में अवैधानिक एवं अनाधिकृत ढंग से भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। यह भी, कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में उपबन्धित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, अतः ग्राम पंचायत केसूली द्वारा पारित आलोच्य संकल्प एवं पट्टा विलेख निरस्त करावें।

अप्रार्थी संख्या एक मय अधिवक्ता व्यक्तिशः हाजिर होकर ज़ाहिर किया कि आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि ग्रामवासियों के सामाजिक व धार्मिक प्रयोजनार्थ सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य संकल्प एवं पट्टा विलेख अपास्त किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम, तो निगरानी याचिका एवं अप्रार्थी संख्या एक के लिखित प्रत्युत्तर से यह निर्विवादित है कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या एक की निजी स्वामित्वाधीन एवं कब्जाशुदा भूमि न होकर ग्रामवासियों के सामाजिक व धार्मिक प्रयोजनार्थ सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। ग्राम पंचायत केसुली द्वारा पारित एवं पत्रावली में सलंग्न प्रस्ताव संख्या तीन दिनांक 13.09.2025 तथा आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 44 दिनांक 03.10.2023 की चतुर्दशी से भी यही जाहिर होता है कि प्रश्नगत भूमि सघन आबादी क्षेत्र में अवस्थित नहीं है।

अतः यह प्रश्न उठता है कि उक्त सार्वजनिक उपयोग की भूमि का विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1997 के नियम 157 (पुराने गृहों के विनियमितिकरण) के अन्तर्गत किस आधार पर जारी करने का निर्णय लिया गया?

उक्त प्रश्न के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत केसुली से तलब मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 156 / 2021–22, बैठक कार्यवाही रजिस्टर तथा मूल पट्टा विलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय हैः--

1. मूल मिसल संख्या 156 में आलोच्य पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु एक अहस्ताक्षरित आवेदन सलंग्न है, जिस पर न तो अप्रार्थी संख्या एक के हस्ताक्षर हैं और न ही कोई दिनांक अंकित है। अर्थात् हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 की पालना किए बिना ही मिसल कायम कर दी गई।
2. नियम 1996 के नियम 146 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि प्रस्तावित भूमि के निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत बैठक में तीन पंचों का मनोननयन किया जाएगा। किन्तु बैठक कार्यवाही रजिस्टर से यह जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपनी किसी भी बैठक में तीन पंच विशेषों का मनोननयन नहीं किया गया। अपितु,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

हस्तगत प्रकरण में मिसल की आदेशिका में ही तीन पंचों को नामित किया गया, जबकि इस हेतु वैधानिक दृष्टि से ग्राम पंचायत ही अधिकृत है। सारांशतः, हस्तगत प्रकरण में पूर्वोक्त नियम 146 की पालना नहीं की गई है।

3. विचाराधीन निगरानी में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 में जारी आपत्ति इश्तिहार पर न तो दिनांक अंकित है और न ही चस्पानगी की तस्दीक के रुप में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर ही अंकित है।
4. आलोच्य पट्टा विलेख पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में उक्त नियमों के नियम 157 के प्रावधानान्तर्गत जारी किया गया है जबकि मूल मिसल संख्या 156/2021–22 में ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य संलग्न नहीं है जो प्रश्नगत भूखण्ड पर किसी पुराने मकान के निर्माण अथवा अप्रार्थी संख्या एक का उक्त नियम 157 में उपबन्धित अवधि का रहवासी कब्जा प्रमाणित करता हो। बयान पत्र भी अहस्ताक्षरित एवं विवरण रहित साइक्लोस्टाइल प्रारुप में संलग्न है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज़ैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेख एवं प्रस्ताव पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत केसुली द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है एवं इस आधार पर जैर आलोच्य प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 20.09.2022 एवं पट्टा विलेख संख्या 44 दिनांक 03.10.2023 बज़तरफ अप्रार्थी श्रीमती छगली को वैधानिक नहीं माना जा सकता।

अतः विकास अधिकारी, प.स. देसूरी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत केसूली द्वारा मिसल संख्या 156/2021–22 में पारित प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 20.09.2022 एवं इसके अनुक्रम में जारी पट्टा विलेख संख्या 44 दिनांक 03.10.2023 को निरस्त किया जाता है। साथ ही, ग्राम विकास अधिकारी सम्बन्धित को निर्देश दिए जाते हैं कि अपास्त किए गए भूमि विक्रय विलेख पर लाल स्याही से बड़े–बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner